

एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 02 किलो 975 ग्राम गांजा बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चालाये जा रहे अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्येवक्षण में, क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.02.2026 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर भैरोंपुर मन्दिर से मु0अ0स0 46/2026 धारा 3/20 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त कमलेश यादव पुत्र जवाहिर निवासी परसिया देवारा अमूरतानी थाना बरहज जनपद देवरिया के कब्जे से सफेद बोरी में 2 किलो 975 ग्राम गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया

अभियुक्त का विवरण-

- कमलेश यादव उर्फ मनू पुत्र जवाहिर निवासी परसिया देवारा अमूरतानी थाना बरहज जनपद देवरिया

पंजीकृत अभियोंग-

- मु0अ0स0 46/2026 धारा 3/20 एनडीपीएस एक्ट

बरामदगी

- एक सफेद बोरी में 2 किलो 975 ग्राम नाजायज गांजा बरामद।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

- उ0नि0 दीपनारायण कुमार थाना मधुबन जनपद मऊ।
- का0 पंकज थाना मधुबन जनपद मऊ।
- का0 संदीप थाना मधुबन जनपद मऊ।
- का0 प्रदीप थाना मधुबन जनपद मऊ
- का0 राहुल थाना मधुबन जनपद मऊ।
- का0 सदीप उपाध्याय थाना मधुबन जनपद मऊ।
- का0 अजीत यादव थाना मधुबन जनपद मऊ।

यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी 9998/- रु0 कुल धनराशि (नौ हजार नौ सौ अष्टावें) रूपये थाना मधुबन साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना मधुबन साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी 9998/- रु0 कुल धनराशि (नौ हजार नौ सौ अड्डानवे रुपये), पीडिता शशि कला यादव निवासी मधुबन जनपद मऊ। आवेदक के कुल धनराशि 9998 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना मधुबन के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 दीपनारायण कुमार (नोडल अधिकारी), थाना मधुबन जनपद मऊ।
2. म0उ0नि प्रियंका यादव (सहायक नोडल अधिकारी) थाना मधुबन जनपद मऊ।
3. हेड ऑपरेटर पवन कुमार सिंह थाना मधुबन जनपद मऊ।
4. आरक्षी शिवकुमार थाना मधुबन जनपद मऊ।
5. महिला आरक्षी प्रतिमा सिंह थाना मधुबन जनपद मऊ।

यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्राड की गयी 48998/- रु0 कुल धनराशि (अड़तालिस हजार नौ सौ अड्डानवे रुपये) रुपये थाना हलधरपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना हलधरपुर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्राड की गयी 48998/- रु0 कुल धनराशि (अड़तालिस हजार नौ सौ अड्डानवे रुपये) पीडित रुखसाना खातून पत्नी मंसूर आलम हलधरपुर जनपद मऊ। आवेदक के कुल धनराशि 48998 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना हलधरपुर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता

1. उ0नि0 श्री अजय बरनवाल(नोडल अधिकारी),
2. म0 उ0नि0 रिया सिन्हा (सहायक नोडल अधिकारी)

3. हेड ऑपरेटर नूपुर खरे
4. आरक्षी हर्षिकेश कुमार
5. आरक्षी मारुतेंद्र कुमार शुक्ल

हत्या के प्रयास से संबंधित एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद-
पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चालाये जा रहे अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्येक्षण में, क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष्ण राजपूत के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.02.2026 को थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर रामपुर चकिया फ्लाई ओवर सर्विस रोड के पास से मु0अ0स0 15/2026 धारा 115(2), 352, 351(2), 118(1), 109(1) बी0एन0एस0 4/25 आम्स एक्ट मे वांछित अभियुक्त शफीकुर्रहमान पुत्र हबीबुर्रहमान सा0 मुहल्ला जहांगीराबाद थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ के कब्जे से निशादेही पर आला जूर्म चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शफीकुर्रहमान पुत्र हबीबुर्रहमान सा0 मुहल्ला जहांगीराबाद थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
बरामदगी-

1. एक अदद आला कत्ल चाकू

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 15/2026 धारा 115(2)/352/351(2)/118(1)/109(1) बी0एन0एस0 4/25 आम्स एक्ट गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अरूण कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
2. हे0का0 दानबहादुर यादव थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
3. का0 रितेश यादव थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

इंस्टाग्राम पर पढ़ाई के लिंक के माध्यम फ्रांड कि गयी धनराशि 11800/- (इग्यारह हजार आठ सौ)

रुपये थाना कोपांगंज साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना कोपांगंज साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए इंस्टाग्राम पर पढ़ाई के लिंक के माध्यम फ्रांड कि गयी धनराशि 11800 पीडित अनूप चौहान पुत्र अमरिंदर चौहान पता सरवनपुर थाना कोपांगंज जनपद मऊ आवेदक के कुल धनराशि 11800 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना कोपांगंज के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार

व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामद कर्ता पुलिस टीम –

1. उमाशंकर सहायक नोडल अधिकारी
2. उप निरीक्षक प्रियंका सिंह,
3. हेड ऑपरेटर अभिजीत पटेल,
4. मोआ० सविता मौर्या